

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)

पीठासीन अधिकारी:- बृजेश कुमार मंगल (आर.एस.)

मुकदमा नम्बर: 30/2020

उपवर्ती प्रश्न: 1. श्री हनुमान जी महाराज मूर्ति नाव. जादिये एडमम पुजारी अन्तर सिद्ध प्र रामसाल जादि लोधा, विवासी शाम मरेना तह. राजाखेड़ा
-----वादि

बनाम

- | | | |
|--------------------|------------------------|---|
| 1- गिरवत सिद्ध | प्रगण | } अकवाम
लोधा
विवासी गण
मरेना
तहसील
राजाखेड़ा |
| 2- गीतम सिद्ध | दौरविलास | |
| 3- सोबरन सिद्ध | प्र मेकशम | |
| 4- प्रना सिद्ध | प्र नाथुराम (तर्क) | |
| 5- अन्तर सिद्ध | द्वारिका प्रसाद (तर्क) | |
| 6- वीरेन्द्र सिद्ध | प्र धरपाल | |
| 7- सुबेदार सिद्ध | प्र रामपाल | |
| 8- सच्च | तहसीलदार राजाखेड़ा | |

-----प्रतिवादी गण

उपाधीति:- श्री विमल कुमार शर्मा एड. कलिवारी

मिर्चय

दिनांक:- 17-6-2021

वादि की ओर से यह वाद इस प्रकार प्रस्तुत अर्थात् चारा 88 एव 188 आर.पी. एक्ट एव अर्थात् चारा 136 एव आर. एक्ट इन तर्कों के साथ पेज किन्तु गण कि वाद अर्थात् आशजी ख. न. 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

प्रश्न 2

श्री 2 नारायण सिंह को वाद नं 361 का मेरु-
 श्वेतेश्वर अंशिर सिद्ध गणपति कुद समग्र पश्चात् नारायण सिंह
 का देहान्त हो गये उनके शरीर इन्फु विजय सिंह महाशय ने गये
 सिद्धे और वे उक्त आशनि पर कविता दुर तत्प मन्दि पर वाद्य
 की पूजा अर्चना करने लगे तत्प इह आशनि की कानून के गये
 लामका वाद्य के हितार्थ उपयोग में लेने लगे। विजय सिंह द्वारा
 वाद्य की उपासना एक सेवक के रूप में की थी तत्प इह आशनि
 का कानून भी अपनी स्वयं की आशनि गिने माना, अपने जीवन
 काल में ही उन्होंने विवाहिर आशनि नं 361 का वाद्य के हित
 में समर्पण कर दी थी तत्प वाद्य का ही वाद नं 361 आशनि की
 श्वेतेश्वरी हिन्दू जामे की अधिव्यक्ति (घोषणा) कर दी थी। दिनांक
 6/6/99 को विजय सिंह का देहान्त हो गये उनके देहान्त हो गये
 उनके दूर समर्पण की गयी विवाहिर आशनि एवं ही गत संवत्
 पर वाद्य का आदि पद दे गये जो आज तक है। इस प्रकार
 विवाहिर आशनि पर वाद्य की कानून एक वाद नं 361 का कानून है।
 विवाहिर आशनि की कानून वादी की कुद समग्र तत्प पूजा अर्चना
 भी त्वाराम शर्मा ने की, उसके वाद इन्फु मन्दि ने उनके बचन दास
 ने की। वर्तमान में वाद्य की पूजा सेवा उर फरक में उत्तर हिन्दू
 कर रहे हैं तत्प वाद नं 361 आशनि की कानून का पान वाद्य पर
 शर्क कानून है। विवाहिर आशनि के पदों में परिवर्तन है वे विवाहिर
 आशनि की सीमाओं का ताकत कानून करते हुए चले जा रहे
 हैं। वाद्य ने इन्हे शर्क की कोशिश की तो वे सेवा उर कानून
 देने लगे कि विवाहिर आशनि इन्फु मान की कानून वह दान की
 इन्फु देव है इन्फु देव ही इन्फु कानून है। इस पूजा अर्चना
 करेंगे तत्प विवाहिर आशनि पर कानून करने लगे एक कानून
 वाद नं 361 आशनि नं 361 का संख्या 03 वीधा 8 बिलिय कानून
 कि से नफ्त की आशनि में। इतिहास विवाहिर नमक कानून देव
 है इसे नफ्त आशनि में शुद्ध सिद्ध जाना आशिरावत्त
 है। वस्तुतः जहाँ पर 361 नं. की आशनि है वहाँ पर नं. 360

$$\frac{360}{003}$$
 देना चाहिये जहाँ पर नं. 360 की नफ्त देव में
 आशिरावत्त है वहाँ पर $\frac{359}{008}$ देना चाहिये तत्प जहाँ पर $\frac{359}{008}$ की
 आशिरावत्त है वहाँ पर नं. 361 की आशनि देना चाहिये। जहाँ पर
 में कि से उपात्त संख्या श्वेतेश्वर नमक का अंशिर है। नफ्त देव में

उपखण्ड अधिकारी
 राजाखेड़ा (धौलपुर)

पुस्तक नं 3

अधिकृत आचार्यों से मिलान में देगा है। जिसकी दुर्लक्षी
किन्ना जाना आवश्यक है। यदि क्षय वाद पूर्वक अनुभव
आ.सं.न 361 का यदि का (वास्तव्य वास्तव्य धोषी करने
तब, सं.न 360, 359 व 361 का वास्तव्य वास्तव्य विधि, दुर्लक्ष
करने के आदेश के साथ साथ ही किन्ना जाना वास्तव्य विधि
किन्ना

इस वादी दर्ज सफ़ेद किन्ना जाकर परिवर्तन का
जारी में सम्मान तब किन्ना गाना परिवर्तन 123, 6 व 7 अपने
वर्षा पूर्व के साथ वास्तव्य वास्तव्य वास्तव्य आदि उनका साथ से
कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किन्ना गाना। परिवर्तन 4 व 5 का
दौराने इवा तब किन्ना गाना। परिवर्तन से 8 तब किन्ना
शाजाकेडा की ओर से जवाब इवा दिनांक 18-2-2021 का
वेदा किन्ना गाना, जिसमें उनके द्वारा इवा के कथनों का
स्वीकार करते हुए यह कथन किन्ना है कि विवादि का प्रति
सं. न 361 संका 3 वीं धा 8 विल्य राजन रिफॉर्म विजलक्षि
वेला नाराजन विरि केन ग्राहण साखि देद केनात दर्ज है।
स्वादेश विजलक्षि आदिवादि का जाला के दिन का
स्वर्वाश दिनांक 6-6-1991 का है गाना है। तब विवादि का प्रति
की उपलब्ध वादि की हनुमान जी महाराज की सेवा में ही उपलब्ध
उपलब्ध है तब है। उनके द्वारा दिनांक 6-2-2021 का मुंबई
दिल्ली के साथ मोके पर पुस्तक मोफा पर्या तब किन्ना गाना
का दिसे जवाब इवा के साथ वेला किन्ना है। मोफा पर्या
का तब उपलब्ध सभी वास्तव्य वास्तव्य, सं.सं. सं.सं. सं.सं.
गर्भ में उपलब्ध विवादि आदि का हनुमान महाराज के साथ
करने की सहमति जाहिर की है तब यह भी वास्तव्य है
कि विजलक्षि महाराजने अपने जीवनकाल में ही विवादि
आदि का हनुमान जी महाराज की धर्म की स्थापना कराने
की तब अपने जीवनकाल में उपलब्ध आदि हनुमान जी
महाराज की सेवा, पूजा अर्चना हेतु समर्पित कर दी
की वे इस आदि का हनुमान जी महाराज के साथ करना
वास्तव्य के ले किन्ना अकांश 18-6-06-1991 का उनका

(4)

विवाह के बाद जिससे उनकी इच्छा अथवा इच्छा
सहित सती के द्वारा विवाह के बाद इन्सान की तबियत
के बाद करने में अपनी इच्छा के अनुसार वाद पर
उत्पन्न हुए रकम 359, 360 व 361 का नकल देस के
मुद्रा सिर्फ जाने पर की तबियत द्वारा मुद्रा करना
उचित कराना है।

साक्षर वादी में दहावेजी साक्षर के नकल
जमावती सं. 2073-76 व.क 359, 360 व 361 वृत्त, वृत्त,
उद्देश 1, 2 व 3, नकल नकल देस उद्देश 3, नकल नकल देस
उद्देश 5, नकल नकल देस 59 उद्देश 6, नकल जमावती
सं. 2032-35 उद्देश 7 के सिर्फ है तब मौखिक साक्षर के
वपन अन्तर्गत सिर्फ वपन संख्या 100 Pw-2 कराने
गाने है। अन्तर्गत साक्षर पेस नये की गयी।

इसने वदस विज्ञान अति लक्ष्य वादी सुनी।
नकील वादी द्वारा अपनी वदस में वाद पर के साक्षर
कचनों के दोहराए तब दहावेजी एवं मौखिक साक्षर
के आधार पर शवा के पूरी तरह साक्षर से ना
कराना तब शवा उचित सिर्फ जाने वापर सिर्फ
सिर्फ गाना उचित वादी के ओर से करे वदस नये
की गयी।

इसने पत्रवाली का अवलोकन किया, उत्तर साक्षर
दहावेजी एवं मौखिक साक्षर पर गौर किया, तब वदस
नकील वादी पर मनम किया। दहावेजी पर उपलब्ध सिर्फ
नकल जमावती सं. 2032-35 में आखन 361 संख्या 3-08 विल
विवाह के बाद विजय शिरी-वेल नारायण शिरी नकल देस
देस गैरवादी देस सिर्फ है तब नकल देस सं. 59 शवा
इन्सान में यह आशय म.स. साक्षर वदस के आदेश सिर्फ
169-72 से नारायण शिरी के नाम सिर्फ सिर्फ जाने का इच्छा
दुर्ज है। जिससे इस आशय नारायण शिरी के बाद सिर्फ देस
साक्षर देस है नारायण शिरी के मुद्रा के बाद नकल देस सं
64 से इससे विशसु दक्षिण विजय शिरी के बाद (कोल गाने है)

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

वर्तमान जमाबंदी सं. 2073-76 में यह विवाद काशी
 ख. न 361 रकम 3 बीघा 8 बीघा विजय गिरि - चेलु नारायण सिंह
 को मालिकाना हक की शर्तों पर दे दिया जिससे यह रकम दे
 कि उक्त आरजि की शर्तों पर दे दिया है। तदनुसार
 राजावेडा द्वारा उक्त जवाब देना एवं मोका पत्रों के अनुसार
 विजय गिरि की मृत्यु दिनांक 6-6-1991 का है। लेकिन
 यह आरजि आज तक निरस्त विजय गिरि के नाम से राज्य
 रिकार्ड में दर्ज नहीं आ रही है। वादी के बाद पत्र के अनुसार विजय
 गिरि ने अपने जीवनकाल में इस आरजि पर दनुमान जी की
 मूर्ति स्थापित करवाये तथा इस जमीन पर कपड़ा करके पात्र
 पात्र के लोभके दनुमान जी की सेवा में करके करके
 तथा अपने जीवनकाल में ही इस जमीन का दनुमान जी के
 हक में समर्पण कर दिया था, लेकिन रिकार्ड नाम कराने से
 पूर्व अक्समाउन्सि मृत्यु हो गयी थी। लेकिन इस आरजि
 पर दनुमान जी महाराज निरस्त करके उचित कार्रवाई
 है। तदनुसार राजावेडा द्वारा उक्त जवाब एवं मोका
 पत्रों में उपाखण्ड गान वादी एवं सरपंच के बाद पत्र के
 उक्त सभी कथनों का सही बतलाकर पुरा करे है। वादी की
 ओर से उक्त मोखेक सफाई से भी बाद पत्र के उक्त
 लप्ते की पुरा करे है। इस प्रकार यह साबित हो रहा है कि
 विजय गिरि ने अपने जीवनकाल में ही इस आरजि का
 दनुमान जी महाराज (वादी) के हक में समर्पण कर दिया
 था। लेकिन रिकार्ड नाम कराने से पूर्व अक्समाउन्सि
 मृत्यु हो जाने से रिकार्ड में वादी के नाम का इन्ड्रोजन
 हो गया। लेकिन वास्तव में यह इस जमीन का
 वादी का हक है। तब आपका वादी को वास्तव
 घोषित करा जाने का आदि करी भी है।

वादी द्वारा अपने बाद पत्र में ख. न 359, 360, 361
 का रकम जमाबंदी के अनुसार जसस अक्षय में बनी आरजि के
 अनुसार डी. में डार डोन बतला है। वादी के कपनाबुसार अक्षय अक्षय
 में मुद्रि करने के लिए तदनुसार राजावेडा ने अपने जवाब देना में
 मुद्रि लिपि जाना आदि बतला है। मोका पत्रों में श्री गहलानुसार

(6)

शुद्ध हेतु निवेदन विषय गद्य है। पत्रावली पर उपलब्ध रिफॉर्म नक्शा देस नक्शा का अलोकन करने पर भी नक्शे में खराब नम्बरों की जो आकृष्टि की है वह जमावती में दर्ज नक्शे के अनुसार मिलान नहीं खाती है। आकृष्टि में जमावती में दर्ज नक्शे में बड़ी अक्षर छोटी दिखाने पड़ी है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन नम्बरों के अंकन करने में वास्तव में नक्शे में वास्तव में त्रुटि हुई है। जवाब तहसीलदार राजारवेड़ा से भी इसकी पुष्टि होती है इसलिए वाद पर के अनुसार नक्शे में इन खराब नम्बरों का इस मुद्दे विषय जाना डाक्टर समक्ष में है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार इस याचिका डिप्टी कमिश्नर जाना न्यायाधीश समक्ष में है।

अतः आदेश है कि याचिकावादी डिप्टी कमिश्नर जाकर विवादादि आराजी ख. नं. 361 नक्शा 03 वीछा 08 सिन्हा इन्डिया ग्राम इन्डिया तहसील राजारवेड़ा के मूर्तिश्री हनुमान जी मद्यराज गावा 0 ग्राम इन्डिया के नाम राजस्व रिफॉर्म में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पुजारी अन्तर सिंह उप श्यामलाल का उक्त आराजी पर कोई स्वामित्व एवं सम्बन्ध स्वीकार नहीं रहेगा इस आराजी पर वर्तमान में दर्ज विजय गिरि के नाम के इन्डिया के कलमण्डल किया जावे साथ ही नक्शा देस में शुद्ध हेतु नक्शे में वर्तमान में दर्ज ख. नं. 360 के स्थान पर ख. नं. 359, ख. नं. 361 के स्थान पर ख. नं. 360 एवं ख. नं. 359 के स्थान पर ख. नं. 361 दर्ज कर मुद्दा विप्रे जाने के आदेश दिए जाते हैं। पचास डिप्टी जरीये पत्रावली में ताल नुमांर दोकर बाद तहसील दाखिल करार है।

यह निर्णय आज दिनांक 17-6-2021 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वृजेन्द्र कुमार मंगल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
राजारवेड़ा